प्रेस विज्ञप्ति
09.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी (एसपीईएस) से जनशक्ति तथा अन्य सेवाएँ प्रदान करने के नाम पर धन की हेराफेरी किए जाने के मामले में चल रही जाँच के संबंध में, कृष्ण दमानी, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के स्वामित्व वाली म्यूचुअल फंड एवं शेयर के रूप में ₹18.50 करोड़ मूल्य की चल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने मेसर्स साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी (एसपीईएस) के धन की हेराफेरी के संबंध में कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की।

ईडी की जांच से यह उजागर हुआ कि एसपीईएस (एसपीईएस) के लिए जनशक्ति एवं अन्य सेवाएं प्राप्त करने के नाम पर, ₹20 करोड़ से अधिक की धनराशि श्री कृष्ण दमानी और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली संस्थाओं में विपथित की गई थी।

पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत की गई जांच के दौरान यह उद्घाटित हुआ कि श्री कृष्ण दमानी, जो मेसर्स साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी (मेसर्स एसपीईएस) के एक ट्रस्टी हैं, ने अन्य सदस्यों को दरकिनार कर ट्रस्टी बोर्ड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मेसर्स एसपीईएस के प्रशासन पर प्रभुत्व प्राप्त करने के पश्चात, श्री कृष्ण दमानी ने अपने न्यासी दायित्व का दुरुपयोग करते हुए विद्यालय की बड़ी धनराशि को स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं की ओर विपथित किया, जिससे धर्मार्थ निधियों को व्यक्तिगत लाभ एवं उपभोग के रूप में परिणत किया गया। यह भी पता चला कि श्री कृष्ण दमानी ने यह सुनिश्चित किया कि किए गए भुगतान मनगढ़ंत वाउचर, फर्जी बिलों तथा काल्पनिक कर्मचारियों के अभिलेखों द्वारा समर्थित हों, जिनमें सोसाइटी/स्कूल खातों से गैर-मौजूद कर्मचारियों तथा उनके व्यक्तिगत कर्मचारियों को वेतन भुगतान भी शामिल था।

ईडी की जांच से यह उजागर हुआ कि श्री कृष्ण दमानी ने धर्मार्थ ट्रस्टों से विपथित धनराशि को अपने परिवार के सदस्यों एवं उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं को अतिरिक्त वेतन, निदेशकों के पारिश्रमिक, कमीशन आदि के रूप में वितरित कर तथा उक्त धनराशि को म्यूचुअल फंड एवं अन्य निवेशों में अपने नाम, अपने परिवार के सदस्यों के नाम तथा अपनी कंपनियों के नाम पर निवेश कर अपराध से अर्जित आय के परतन (लेयरिंग) एवं समेकन (इंटीग्रेशन) को अंजाम दिया।

ईडी की जांच से आगे यह भी उजागर हुआ कि श्री कृष्ण दमानी तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाएँ, अर्थात् मेसर्स ग्लोबल स्टाफिंग सर्विसेज, मेसर्स पेस्टिल मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कर्णी इम्पेक्स और मेसर्स शानू फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, ₹18.50 करोड़ से अधिक की अपराध से अर्जित आय के धारक हैं। आगे की जांच में श्री कृष्ण दमानी से संबंधित उपर्युक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर 55 म्यूचुअल फंड और 59 शेयरों की पहचान भी की गई। इससे पहले, ईडी ने इस मामले में फरवरी 2026 में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), विचार भवन, कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की थी।

आगे की जांच जारी है।